शिवभगवान — सांवरमल आदि कु.०: 59/21

दिनांक	आज्ञा पत्र	
15.10.24	पत्रावली पेश। अपील उपस्थ प्रत्यर्थी वास्ते बहस दिनांक 23.10.24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी	
23.10.24	पत्रावली पेश। अपील उपस्थ प्रत्यर्थी वास्ते बहस दिनांक 20.11.24 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
20.11.24	पत्रावली पेश। अपील उपस्थ प्रत्यर्थी वास्ते बहस दिनांक 2.12.24 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
2/12/24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 11.12.24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
11/12/24	पत्रावली पेश। अपील अपीलाट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 59/2021

1 शिवभगवान आयु 67 साल पुत्र जीतमल जाति अग्रवाल महाजन निवासी ग्राम रहनावा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज. हाल निवासी वीर तेजा कॉलोनी नवलगढ़ रोड़ सीकर तहसील व जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 सांवरमल आयु 66 साल पुत्र जीतमल जाति अग्रवाल महाजन निवासी ग्राम रहनावा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
2 कैलाश आयु 50 साल पुत्र दीपचन्द जाति अग्रवाल महाजन निवासी ग्राम रहनावा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
3 विजय कुमार आयु 50 साल पुत्र स्व. रामप्रसाद जाति अग्रवाल महाजन निवासी ग्राम रहनावा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
4 विमल कुमार आयु 44 साल पुत्र स्व. रामप्रसाद जाति अग्रवाल महाजन निवासी ग्राम रहनावा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
5 पवन कुमार आयु 43 साल पुत्र स्व. रामप्रसाद जाति अग्रवाल महाजन निवासी ग्राम रहनावा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
6 शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
7 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ भूमिधारक राज्य सरकार तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

जाने हेतु विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। वाद प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर वाद रजिस्टर किया गया जिस पर प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आया दिनांक 07.09.2016 को प्रतिवादी संख्या 3 से 5 की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 सीपीसी पेश किया गया और दिनांक 07.09.2016 को उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहरीर जारी करने का आदेश प्रदान किया गया जिस पर बंटवारा प्रस्ताव मंगवाकर दिनांक 04.07.2017 को अंतिम डिक्री जारी कर दी जिसके विरूद्ध प्रार्थी अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय के समक्ष एक अपील उनवानी शिवभगवान बनाम सांवरमल प्रस्तुत की गई। जिसका निर्णय दिनांक 11.01.2019 को पारित किया जाकर अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर पत्रावली विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित की गई उक्त पक्ष को सुनकर विधिक प्रकिया अपनाकर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें। उसके पश्चात विचारण न्यायालय ने दिनांक 14.05.2019 को पत्रावली को पुनः दर्ज रजिस्टर कर आदेश जैर अपील पारित किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 11.01.2019 अपील संख्या 61/2016 उनवानी शिवभगवान बनाम सांवरमल में पारित निर्णय के विपरित जाकर आदेश गैर अपील पारित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पालना नहीं की है इसलिये निर्णय व डिक्री गैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय व डिक्री गैर अपील विधि के आज्ञात्मक प्रावधानों के विपरित है क्योंकि किसी भी विभाजन के बाद में जवाब दावा लेकर तनकियात कायम कर उभयपक्षों की साक्ष्य लेने के पश्चात विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाता है लेकिन प्रस्तुत वाद में यह प्रकिया नहीं अपनाई गई है और न ही विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

डिक्री जारी की गई है बिना प्राथमिक डिक्री के अंतिम डिक्री जारी नहीं की जा सकती है। निर्णय व डिक्री गैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 07.09.2016 को प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 7 सीपीसी स्वीकार कर तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु तहरीर जारी करने का आदेश प्रदान किया जबकि विधिनुसार बिना प्राथमिक डिक्री जारी करने से पूर्व सभी पक्षकारों को जवाब दावा लेकर तनकियात कायम कर वादी एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य लेखबद्ध कर प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है लेकिन प्रस्तुत वाद में विधि प्रावधानों को नजर अंदाज कर बिना प्राथमिक डिक्री में निर्णय व डिक्री गैर अपील पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा कोई प्राथमिक डिक्री जारी नही की गई और न ही कोई साक्ष्य लेखबद्ध किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा विधि प्रावधानों के विपरित जाकर प्रतिवादीगण को जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही मनमाने ढंग से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया और तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ ने बिना मौके पर गये ही वादी से मिलकर गलत रूप से बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया मौके पर अपीलान्ट के कब्जे की भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि दिखाकर गलत रूप से बंटवारा प्रस्ताव पेश किया और उसी आधार पर कतई गलत रूप से निर्णय व डिक्री गेर अपील पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 04.07.2017 को डिक्री जारी की गई थी। वर्तमान अपीलांट शिवभगवान द्वारा इस न्यायालय में अपील संख्या 61/2017 प्रस्तुत की गई थी जो दिनांक 11.01.2019 के निर्णय से विचारण न्यायालय को रिमांड की गई थी। इस न्यायालय के आदेश में विचारण न्यायालय में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

उपस्थिति हेतु उभयपक्ष को पाबंद किया गया था। विचारण न्यायालय में दिनांक 14.05.2019 को प्रकरण पुनः दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इस न्यायालय के निर्देश के उपरांत भी अपीलांट विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 17.10.2019 को अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 13.02.2020 को अपीलांट का आवेदन आदेश 09 नियम 07 स्वीकार किया जाकर अपीलांट की आपत्ति एवं आदेश 07 नियम 11 पर उभयपक्ष को सुनकर विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की है। अपीलांट का मुख्य आक्षेप यह है कि वादी का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है। इसके विपरित विभाजन प्रस्ताव में राजस्व एजेंसी वादी का कब्जा होना प्रकट कर रहे है। इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। विचारण न्यायालय में अपीलांट जरिये वकील उपस्थित रहा है इसके उपरांत भी अपील मियाद के बाहर प्रस्तुत की गई है। अतः अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 04.07.2017 को डिक्री जारी की गई थी। वर्तमान अपीलांट शिवभगवान द्वारा इस न्यायालय में अपील संख्या 61/2017 प्रस्तुत की गई थी जो दिनांक 11.01.2019 के निर्णय से विचारण न्यायालय को रिमांड की गई थी। इस न्यायालय के आदेश में विचारण न्यायालय में उपस्थिति हेतु उभयपक्ष को पाबंद किया गया था। विचारण न्यायालय में दिनांक 14.05.2019 को प्रकरण पुनः दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इस न्यायालय के निर्देश के उपरांत भी अपीलांट विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 17.10.2019 को अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अमल में लाई गई। दिनांक 13.02.2020 को अपीलांट का आवेदन आदेश 09 नियम 07 स्वीकार किया जाकर अपीलांट की आपत्ति एवं आदेश 07 नियम 11 पर उभयपक्ष को सुनकर विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की है। अपीलांट का मुख्य आक्षेप यह है कि वादी का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है। इसके विपरित विभाजन प्रस्ताव में राजस्व एजेंसी वादी का कब्जा होना प्रकट कर रहे है। इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.12.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम भादू)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर